[illegible] आज पक्ष
पार्टी वकील के पूर्व आदेश
पालना में आज तक नहीं
भेजकर पेश नहीं किये
न्यायहित में एक और अवसर
प्रदान किया जाकर पत्रावली
दिनांक 19/4/18 को पेश हो

19/4/18

वकीलों द्वारा
कण्डोलेन्स करते पर
20/4/18 को पेश हुई

28.6.18 पत्रावली कैम्प न्याय आयोग
द्वारा सांचौर में पेश हुई।
में पूर्व आदेशों की पालना
होने से C.P.C की धारा
5 के तहत खारिज किया जा
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो। वा
पूर्ति दायिला दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़